फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर, मुकाम अलवर

कश्मीरी बनाम ग्राम पंचायत साहोडी वगैरा

केस्स मुकदमा:– इन्तकाल अपील

मु0 नं0 ....सन –2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22–04–24	अपील वकील विद्वान श्री हरिप्रकाश वर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया, अपील दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 06–05–2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी अलवर 6.5.24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक....20-5-24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 20-5-24 पत्रावली पेश हुई ग्राम पंचायत को जरिये रजिस्ट्री ग्लोप पेश की ट्रैक रिपोर्ट पेश होवे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अलवर 20/05/24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक......12/06/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर 12/06/24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक....01/7/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर 01/07/24	

Scanned with OKEN Scanner

1.7.24

पत्रावली पेश हुई। रिपोर्ट रजिस्ट्री अधि.... हेतु रिपोर्ट बावत गौर पत्रावली दि० 15.7.24 को पेश होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

15.7.24

पत्रावली पेश हुई उत्तरार्थी बावजूद सुनवाई अनुपस्थित रहे ना ही जवाब पेश किया। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में ली जाकर जवाब की गई पत्रावली बावत आदेश दि० 22.7.24 को पेश होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर.

22.7.24

पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय प्रति पृथक से तहसीलदार अलवर को भिजवाई जाकर बाद तामील पत्रावली नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

यालय उपखण्ड अ
पीठासीन अधिक
नं. किस्म
0 अपील
कश्मीरी पुत्री भरतू
पुत्री भरतू जाति न
पुत्र भरतू जाति न
देवी पुत्री भरतू ज
नायजाद भरतू व
प्रकाश पुत्र श्री
ाबिज जायजा
साहोडी
ील विरु

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतीक जुईकर (आई0ए0एस)

मु.नं.	किस्म	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/10	अपील	22.04.2024	22.07.2024

उनवान

1:–श्रीमती कश्मीरी पुत्री भरतू जाति नट निवासी साहोडी तहसील व जिला अलवर
2:–प्रेमलता पुत्री भरतू जाति नट निवासी साहोडी तहसील व जिला अलवर
3:–रामवीर पुत्र भरतू जाति नट निवासी साहोडी तहसील व जिला अलवर
4:–सावित्री देवी पुत्री भरतू जाति नट निवासी साहोडी तहसील व जिला अलवर वारिसान काबिज जायजाद भरतू व श्रीमती मु0 सोना मृतक
5:–शिवओम प्रकाश पुत्र श्रीमती गायत्री जाति नट निवासी साहोडी तहसील व जिला अलवर वारिस काबिज जायजाद भरतू व श्रीमती मु0 सोना व श्रीमती गायत्री मृतक

बनाम

1:–ग्राम पंचायत साहोडी जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत साहोडी तहसील अलवर

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 181 दिनॉक 01.02.2024 वाके ग्राम सूकल ग्राम पंचायत साहोडी, पंचायत समिति उमरैण

निर्णय

अपीलान्टस ने राज.भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत जर्ये वकील ने निवेदन किया कि तहत अदालत ने इन्तकाल नंबर 181 बावत खाता नंबर 31 आराजी खसरा नंबर 26 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 28 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 362 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 363 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 364 रकबा 1.08 हैक्टेयर, 368 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 369 रकबा 0.38 हैक्टेयर, 372 रकबा 0.51 हैक्टेयर, 44 रकबा 0.25 हेक्टेयर, 47 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 48 रकबा 1.06 हैक्टेयर, 48/2220 रकबा 0.05 हैक्टेयर, व 49 रकबा 1.01 हैक्टेयर व 49/2221 रकबा 0.06 हेक्टेयर 76 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 84 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 86 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 17. रकबा 5.39 हैक्टेयर में से 1/9 हिस्सा व खाता नंबर 66 आराजी खसरा नंबर 101 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 102 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 17 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 18 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 19 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 20 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 21 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 22 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 23 रकबा 0.99 हैक्टेयर, 24 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 25 रकबा 0.42 हैक्टेयर, 27 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 29 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 30 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 31 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 31/2176 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 32 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 33 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 34 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 35 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 43 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 454 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 50 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 51 रकवा 0.14 हैक्टेयर, 52 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 53 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 57/2177 हैक्टेयर 0.05 हैक्टेयर, 58 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 77 रकबा 0.74 हैक्टेयर, 78 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 8 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 87 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 88 रकबा 0.02

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टेयर कुल किता 33 रकबा 5.63 हैक्टेयर में से 1/9 हिस्सा व खाता नंबर 105 आराजी खसरा नंबर 6/2190 रकबा 0.01 हैक्टेयर व 85 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0. 06 हैक्टेयर में से 1/9 हिस्सा व खाता नंबर 127 आराजी खसरा नंबर 656/1 रकबा 0.0769 हैक्टेयर खाता नंबर 128 आराजी खसरा नंबर 655/1 रकबा 0.4127 हैक्टेयर वाके ग्राम साहोडी सुकल तहसील अलवर गलत तरीक पर नामंजूर किया है जिसका इल्म हम अपीलान्टान को तारीख 20–03–2024 को हुआ है इल्म होने पर उसी दिन नकल इन्तकाल मिलने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल इन्तकाल तारीख 20–03–2024 को मिली। नकल इंतकाल मिलने पर वकील साहेबान से सलाह व मश्वरा लिया जिन्होंने अपील दायर करने की हिदायत दी। अपीलाण्टान ने गांव में जाकर रूपयों पैसों का इंतजाम किया। जिससे बिला देरी अपील पेश की जा रही है। दिनांक 20–03–2024 से पहले तहत अदालत के आदेश की जानकारी नही थी। जिस देरी के बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 कानून मियाद मय शपथपत्र अलग से पेश है। अपीलाण्टान ने अपील दायर करने में दीदोदानिस्ता देरी नहीं की है व उक्त देरी काबिल माफी है यह कि तजवीज ग्राम पंचायत जरिये सरपंच ग्राम पंचायत साहोडी से अपील काबिल समाअत अदालत श्रीमान है। यह कि खाता नंबर 31 आराजी खसरा नंबर 26 रकबा 0.29 हेक्टेयर, 28 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 362 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 363 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 364 रकबा 1.08 हैक्टेयर, 368 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 369 रकबा 0.38 हैक्टेयर, 372 रकबा 0.51 हैक्टेयर, 44 रकबा 0.25 हेक्टेयर, 47 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 48 रकबा 1.06 हैक्टेयर, 48/2220 रकबा 0.05 हैक्टेयर, व 49 रकबा 1.01 हैक्टेयर व 49/2221 रकबा 0.06 हैक्टेयर 76 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 84 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 86 रकबा 0.01 हैक्टेयर, कुल किता 17 रकबा 5.39 हैक्टेयर में से 1/9 हिस्सा व खाता नंबर 66 आराजी खसरा नंबर 101 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 102 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 17 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 18 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 19 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 20 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 21 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 22 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 23 रकबा 0.99 हैक्टेयर, 24 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 25 रकबा 0.42 हैक्टेयर, 27 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 29 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 30 रकबा 0.19 हेक्टेयर, 31 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 31/2176 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 32 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 33 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 34 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 35 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 43 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 454 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 50 रकबा 0.09 हेक्टेयर, 51 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 52 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 53 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 57/2177 हैक्टेयर 0.05 हैक्टेयर, 58 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 77 रकबा 0.74 हैक्टेयर, 78 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 8 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 87 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 88 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 33 रकबा 5.63 हैक्टेयर में से 1/9 हिस्सा व खाता नंबर 105 आराजी खसरा नंबर 6/2190 रकबा 0.01 हैक्टेयर व 85 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0. 06 हैक्टेयर में से 1/9 हिस्सा व खाता नंबर 127 आराजी खसरा नंबर 656/1 रकबा 0.0769 हैक्टेयर खाता नंबर 128 आराजी खसरा नंबर 655/1 रकबा 0.4127 हैक्टेयर वाके ग्राम साहोडी सुकल तहसील अलवर में बाके है उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार मिन अपीलान्टान के पिता व नाना भरतू पुत्र प्रभु जाति नट खातेदार काश्तकार थे जिस भरतू का स्वर्गवास हो गया है जिस भरतू का इन्तकाल मुताबिक प्रशासक नामान्तकरण उसकी बेवा सोना के नाम खातेदारी का दर्ज किया है, उक्त मु० सोना का स्वर्गवास हो गया हैं जिसके वारिसान हम अपीलान्टान नंबर 1 लगायत 4 पुत्रीया व पुत्रान है व अपीलान्ट नंबर 5 नवासा

व

है व हम अपीलान्टान उक्त आराजी पर नेक नियती से काबिज दखिल हैं उक्त खाता नंबर 31 आराजी खसरा नंबर 26 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 28 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 362 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 363 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 364 रकबा 1.08 हैक्टेयर, 368 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 369 रकबा 0.38 हैक्टेयर, 372 रकबा 0.51 हैक्टेयर, 44 रकबा 0.25 हेक्टेयर, 47 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 48 रकबा 1.06 हैक्टेयर, 48/2220 रकबा 0.05 हैक्टेयर, व 49 रकबा 1.01 हैक्टेयर व 49/2221 रकबा 0.06 हैक्टेयर 76 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 84 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 86 रकबा 0.01 हैक्टेयर, कुल किता 17 रकबा 5.39 हैक्टेयर में से 1/9 हिस्सा व खाता नंबर 66 आराजी खसरा नंबर 101 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 102 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 17 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 18 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 19 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 20 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 21 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 22 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 23 रकबा 0.99 हैक्टेयर, 24 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 25 रकबा 0.42 हेक्टेयर, 27 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 29 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 30 रकबा 0.19 हेक्टेयर 31 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 31/2176 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 32 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 33 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 34 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 35 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 43 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 454 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 50 रकबा 0.09 हेक्टेयर, 51 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 52 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 53 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 57/2177 हैक्टेयर 0.05 हैक्टेयर, 58 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 77 रकबा 0.74 हैक्टेयर, 78 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 8 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 87 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 88 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल कित्ता 33 रकबा 5.63 हैक्टेयर में से 1/9 हिस्सा व खाता नंबर 105 आराजी खसरा नंबर 6/2190 रकबा 0.01 हैक्टेयर व 85 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.06 हैक्टेयर में से 1/9 हिस्सा व खाता नंबर 127 आराजी खसरा नंबर 656/1 रकबा 0.0769 हैक्टेयर खाता नंबर 128 आराजी खसरा नंबर 655/1 रकबा 0.4127 हैक्टेयर वाके ग्राम साहोडी सुकल तहसील अलवर है यह कि तहत अदालत ने चुनावी रंजिश के कारण हम अपीलान्टान के पक्ष में आराजी मुतनाजा का इन्तकाल विरासत नंबर 181 तारीख 01–02–2024 मंजूर ना करके खारिज करने में भारी भूल की है व हम अपीलान्टान को आराजी मुतनाजा के बाबत कस्टोडियन गैरखातेदार अंकित किया है जो गलत है जबकि उक्त आराजी मुतनाजा भरतू के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हैं जैसा कि भरतू के नाम पासबुक आराजी मुतनाजा के बाबत जारी की हैं जिसमें खाता नंबर 134 भरतू को खातेदार माना है व भरतू के मरने के बाद इन्तकात विरासत भरतू की पत्नि सोना के नाम उक्त आराजी के बाबत इन्तकाल विरासत नंबर 57 भरतू की बेवा सोना के नाम खातेदारी का दर्ज व स्वीकार हुआ हैं। लेकिन उक्त इन्तकाल विरासत का अमल कागजात माल में नहीं आया है यह कि तहत अदालत ने गलत तरीक पर इन्तकाल विरासत नंबर 181 भरतू पुत्र प्रभू मृतक का गलत तरीक पर नामंजूर करने में भारी भूल की है वक्त इन्तकाल ग्राम पंचायत का कॉरम भी पूरा नहीं था यह कि तहत अदालत ने आराजी मुतनाजा का कोई मौका मुआयना किया व ना कब्जा देखा जबकि आराजी मुतनाजा पर हम अपीलान्टान नेक नियती से काबिज दखिल है। यह कि तहत अदालत ने गलत तरीक पर हम अपीलान्टान को गैरखातेदार आराजी मुतनाजा के बाबत दर्ज किया है। जबकि हम अपीलान्टान आराजी मुतनाजा के जायज खातेदार काश्तकार है व कब्जा मौके पर मौजूद है। लेकिन तहत अदालत ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया। यह कि मिन अपीलान्टा प्रेमलता ने अदालत श्रीमान के यहां आराजी मुतनाजा कुल किता 10 रकबा 18 बिस्वा 11 बिस्वा वाके ग्राम साहोडी तहसील

Scanned with OKEN Scanner

अलवर का अपीलान्टा के नाम इन्तकाल दर्ज करने के बाबत पेश किया जिस पर श्रीमान ने ग्राम पंचायत को इन्तकाल खोलने के बाबत अंकन किया। लेकिन तहत अदालत ने आराजी मुतनाजा की जांच नही की व गलत तरीक पर इन्तकाल नंबर 181 आराजी मुतनाजा का हम अपीलान्टान के नाम दर्ज ना करके खारिज करने में भारी भूल की है। यह कि अदालत जिला कलेक्टर महोदय अलवर के यहां एक अपील नंबर 14/13/2021 तारीख 06-12-2021 को बअनुवान बाबूलाल बनाम सरकार पेश की, जिस पर तारीख 14-02-2023 को बाबूलाल अपीलान्ट की अपील आराजी मुतनाजा के बाबत खारिज की गई। यह कि भरतू पुत्र प्रभू का आराजी मुतनाजा में गलत तरीक पर 1/9 हिस्सा दर्ज किया है व गलत तरीक पर भरतू को गैर खातेदार कस्टोडियन दर्ज किया है। जिस बाबत अलहदा से कानूनी कार्यवाही की जा रही है। यह कि तहत अदालत ने उक्त इन्तकाल में यह अंकित किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में विरासत खारिज की जा चुकी है। अतः प्रार्थना है कि अपील मंजूर फरमायी जाकर तहत अदालत की आज्ञा बाबत इन्तकाल नंबर 181 तारीख 01-02-2024 हस्बजाब्ता मंसुख फरमायी जावे व भरतू पुत्र प्रभू मृतक की आराजी मुतनाजा का इन्तकाल विरासत हम अपीलान्टान के पक्ष में दर्ज व स्वीकार किया जावे। हलफनामा पेश है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस जरिये नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट विधि सम्मत तामील उपरान्त भी उपस्थित नही हुये उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लेते हुये बहस सुनी गई बहस मे अपीलान्ट के द्वारा कथन किया कि आराजी मुतनाजा का इन्तकाल विरासत नंबर 181 तारीख 01-02-2024 मंजूर ना करके खारिज करने में भारी भूल की है व हम अपीलान्टान को आराजी मुतनाजा के बाबत कस्टोडियन गैरखातेदार अंकित किया है जो गलत है जबकि उक्त आराजी मुतनाजा भरतू के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हैं जैसा कि भरतू के नाम पासबुक आराजी मुतनाजा के बाबत जारी की हैं जिसमें खाता नंबर 134 भरतू को खातेदार माना है व भरतू के मरने के बाद इन्तकात विरासत भरतू की पत्नि सोना के नाम उक्त आराजी के बाबत इन्तकाल विरासत नंबर 57 भरतू की बेवा सोना के नाम खातेदारी का दर्ज व स्वीकार हुआ हैं। लेकिन उक्त इन्तकाल विरासत का अमल कागजात माल में नहीं आया है यह कि तहत अदालत ने गलत तरीक पर इन्तकाल विरासत नंबर 181 भरतू पुत्र प्रभू मृतक का गलत तरीक पर नामंजूर करने में भारी भूल की है वक्त इन्तकाल ग्राम पंचायत का कॉरम भी पूरा नहीं था यह कि तहत अदालत ने आराजी मुतनाजा का कोई मौका मुआयना किया व ना कब्जा देखा जबकि आराजी मुतनाजा पर हम अपीलान्टान नेक नियती से काबिज दखिल है। यह कि तहत अदालत ने गलत तरीक पर हम अपीलान्टान को गैरखातेदार आराजी मुतनाजा के बाबत दर्ज किया है। जबकि हम अपीलान्टान आराजी मुतनाजा के जायज खातेदार काश्तकार है व कब्जा मौके पर मौजूद है। लेकिन तहत अदालत ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकुलाय को सुना गया प्रार्थना पत्र दफा 5 पर नरम रूख अपनाते हुऐ प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया तथा बहस पर मनन किया। तहत पारित आलोच्य आदेश प्रथम दृष्टया अपास्त योग्य प्रतीत होता है अतः अपील अपीलान्ट इस हद तक स्वीकार की जाती है। तहत पारित आलोच्य आदेश ग्राम सूकल ग्राम पंचायत साहोडी तहसील अलवर की आज्ञा इंतकाल संख्या 181 दिनॉक 01-1-2024 बावत इन्तकाल स0 181

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

आके ग्राम सूकल ग्राम पंचायत साहोडी तहसील अलवर जिला अलवर इस हद तक अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि भू–राजस्व अधिनियम एवं अन्य राजस्व नियमों को दृष्टिगत रखते हुऐ प्रकरण मे विधिक रूप से प्रर्याप्त साक्ष्य/सबूत पेश करने का प्रर्याप्त अवसर अवसर/समय प्रदान करते हुये पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अलवर
अलवर

निर्णय आज दिनांक २२-७-२५ को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अलवर
अलवर

Scanned with OKEN Scanner